

पटना में दिनांक-09 जून, 2020 मंगलवार को अपराह्न 07:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 1. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-332 दिनांक-28.01.2013 की कंडिका-18 को संशोधित करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

**योजना एवं विकास विभाग**  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 2. | बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 3. | डा० ओ०पी० लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, रोहतास को दिनांक 28.02.04 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 4. | डा० कमरान हबीब, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा० स्वा० केन्द्र, डुमरौवा, बांका को दिनांक 24.01.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 5. | डा० नित्यानंद पाठक, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल को दिनांक 12.05.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 6. | डा० याकुब सांगा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुबारकपुर, सारण को दिनांक 14.7.1997 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 7. | डा० इन्द्रमोहन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग विशेषज्ञ) सदर अस्पताल, सिवान को दिनांक 01.06.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 7. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

8. डा० (श्रीमती) सुनीता कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, फुलवरिया, गोपालगंज को दिनांक 31.12.2003 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

9. डा० हारुण रशीद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को दिनांक 30.06.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

10. डा० रेणु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को दिनांक 24.11.2011 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

11. डा०(श्रीमती) सविता कुमारी शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोहाईगंज, सारण, छपरा को दिनांक 14.07.1997 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

12. डा० अबु सुफयान याहया, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, कार्यालय, सहरसा को दिनांक 03.02.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

13. डा० मो० तनवीर आलम, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को दिनांक 06.11.2011 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

**जल संसाधन विभाग**

14. श्री बिजेन्द्र कुमार राम (आई०डी०-3871), तत्कालीन मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के विरुद्ध 'सेवा से बर्खास्तगी' संबंधी निर्गत दण्डादेश (विभागीय अधिसूचना सं०-1539 दिनांक-19.07.2018) को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-13190/2018 में पारित न्यायादेश के आलोक में निरस्त करने के संबंध में। 14. स्वीकृत।

### पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक यानि आगामी चार वर्षों के लिए कॉम्पेड के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की वित्तीय सहायता से स्थापित किये जा रहे 15 परियोजनाओं में से शेष बचे 10 परियोजनाओं (बिहार राज्य स्थित 08 दुग्ध संघों एवं 02 डेयरी इकाईयों) को पूर्ण करने हेतु राज्य स्कीम के तहत कुल ₹234.75 करोड़ (₹दो अरब चौतीस करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र की लागत व्यय पर सहायक अनुदान के रूप में होने वाले व्यय की स्वीकृति।

### वित्त विभाग

16. श्री रामसुखित राय (बिहार लेखा सेवा), तत्कालीन वरीय कोषागार पदाधिकारी-सह-जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जहानाबाद को सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।

### गृह विभाग

(विशेष शाखा)

17. दिनांक 28.02.2017 को किंजर मिर्जापुर, जहानाबाद के पास कैदी वाहन से कुचलकर संतोष कुमार (अनुबंध परिचारी), पिता-श्री सुरेश कुमार वर्मा, ग्राम-निरखपुर बहेरी, थाना-पालीगंज, जिला-पटना की हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित परिवार को ₹4,00,000/- (चार लाख) रूपया अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

### ग्रामीण विकास विभाग

18. "जल-जीवन-हरियाली अभियान" के संचालन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 442496 दिनांक 27.09.2019 के अनुलग्नक-1 में निर्धारित अवयवों एवं क्रियान्वयन विभागों की सूची में संशोधन के संबंध में।

### भवन निर्माण विभाग

19. भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत GATE Score की आधार पर संविदा पर नियोजित कुल 43 + 06 = 49 (उनचास) सहायक अभियंता (असैनिक) का संविदा अवधि को अगले 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. रोहतास जिलान्तर्गत अंचल-सासाराम के मौजा- कंचनपुर, थाना सं०-238, खाता सं०-309/277 में खेसरा सं०-457/467 में कुल रकबा-0.02 डी० अनावार बिहार सरकार भूमि किस्म-धनहर दो एन०एच०-02 के 06 लेन चौड़ीकरण परियोजना हेतु एन०एच०ए०आई०, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

### विधि विभाग

21. राज्य में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय तथा सभी व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत टेक्निकल मैन पावर के मानदेय के भुगतान हेतु एवं 14वाँ वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य के व्यवहार न्यायालयों में टेक्निकल मैन पावर के अन्तर्गत बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के सात माह (दिनांक-01.09.2019 से 31.03.2020 तक) के बकाये मानदेय के भुगतान हेतु तथा माननीय उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड के डिजिटलैजेशन हेतु कुल ₹14,03,50,000 (चौदह करोड़ तीन लाख पचास हजार) रुपये बिहार राज्य आकस्मिता निधि से अग्रिम तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
21. स्वीकृत।

### सामान्य प्रशासन विभाग

22. श्री हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा (बि.प्र.से.), कोटि क्रमांक 1252/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, दलसिंहसराय, समस्तीपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्तगी के विरुद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9040 दिनांक 08.07.2019 द्वारा निर्गत दंड "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" को पूर्ववत् बरकरार रखने के संबंध में।
22. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, खुशरूपुर, पटना सम्प्रति अंचल अधिकारी, रिविलगंज, सारण को सेवाच्युत करने के संबंध में।
23. स्वीकृत।

### पंचायती राज विभाग

24. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली Tied एवं Untied अनुदानों की कुल ₹5018.00 करोड़ (पाँच हजार अठारह करोड़ रुपये) मात्र की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच क्रमशः 70:20:10 के अनुपात में वितरित किये जाने तथा इस योजना का क्रियान्वयन एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
24. स्वीकृत।

**ग्रामीण विकास विभाग**

25. 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के लाभुकों एवं जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित वास स्थल विहिन सुयोग्य परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर वास भूमि क्रय करने हेतु पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति।

25. स्वीकृत।